रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261829 CG-DL-E-21032025-261829

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1323]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

No. 1323]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025

का.आ. 1341(अ).—केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5037(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, उन कार्यों जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात:-

(1) धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष: अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुके हों

(रिक्त)

(2) धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य: निदेशक, केन्द्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान (सीआईबीए), चेन्नई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

-सदस्य:

1923 GI/2025 (1)

(3)	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य: निदेशक, समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र, कोच्चि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार।	-सदस्य;
(4)	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त सदस्य: निदेशक,	
	राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	-सदस्य;
(5)	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य: संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	-सदस्य;
(6)	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन नियुक्त सदस्य: अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि	,
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार	-सदस्य ;
(7)	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (चक) के अधीन नियुक्त सदस्य: संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	-सदस्य;
धारा 4 र्व	जे उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के प्र	प्रतिनिधि:
(8)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), अंदमान और निकोबार द्वीप सरकार	-सदस्य;
(9)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), आंध्र प्रदेश सरकार	-सदस्य;
(10)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), दमण और दीव सरकार	-सदस्य;
(11)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), गोवा सरकार	-सदस्य;
(12)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), गुजरात सरकार	-सदस्य;
(13)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), कर्नाटक सरकार	-सदस्य;
(14)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), केरल सरकार	-सदस्य;
(15)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), लक्षद्वीप सरकार	-सदस्य;
(16)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), महाराष्ट्र सरकार	-सदस्य;
(17)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), ओडिशा सरकार	-सदस्य;
(18)	सचिव (मत्स्यपालन विभाग), पुडुच्चेरी सरकार	-सदस्य;

(19) सचिव (मत्स्यपालन विभाग), तमिलनाडु सरकार

-सदस्य; और

(20) सचिव (मत्स्यपालन विभाग), पश्चिमी बंगाल सरकार

-सदस्य

- 2. अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष का होगा।
- 3. तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

[फा. सं. 33036/04/2018-मा.(टी-2) (ई-9908)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2025

S.O. 1341(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, number S.O. 5037(E), dated the 6th December, 2021, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act, namely:-

(1) Chairperson appointed under clause (a) of sub-section (3) of section 4:

The Chairperson, who is, or has been, a Judge of a High Court

(Vacant)

(2) Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of section 4:

Director,

Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), Chennai,

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

-Member;

(3) Member appointed under clause (c) of sub-section (3) of section 4:

Director,

Centre for Marine Living Resources and Ecology, Kochi.

Ministry of Earth Sciences, Government of India.

-Member;

(4) Member appointed under clause (d) of sub-section (3) of section 4:

Director,

National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM),

Chennai.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

-Member;

(5) Member appointed under clause (e) of sub-section (3) of section 4:

Joint Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare,

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

-Member;

(6)

Member appointed under clause (f) of sub-section (3) of section 4:

	Chairman, Marine Products Export Development Authority, Kochi.			
	Ministry of Commerce and Industries, Government of India.	-Member;		
(7)	Member appointed under clause (fa) of sub-section (3) of section 4: Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries,			
	Animal Husbandry and Dairying, Government of India.	-Member;		
Representatives of each of the Coastal States and Union territories appointed under clause (g) of sub-section (3) of section 4:				
(8)	Secretary (Fisheries), Government of Andaman and Nicobar Island.	-Member;		
(9)	Secretary (Fisheries), Government of Andhra Pradesh.	-Member;		
(10)	Secretary (Fisheries), Government of Daman and Diu.	-Member;		
(11)	Secretary (Fisheries), Government of Goa.	-Member;		
(12)	Secretary (Fisheries), Government of Gujarat.	-Member;		
(13)	Secretary (Fisheries), Government of Karnataka.	-Member;		
(14)	Secretary (Fisheries), Government of Kerala.	-Member;		
(15)	Secretary (Fisheries), Government of Lakshadweep Island.	-Member;		
(16)	Secretary (Fisheries), Government of Maharashtra.	-Member;		
(17)	Secretary (Fisheries), Government of Odisha.	-Member;		
(18)	Secretary (Fisheries), Government of Puducherry.	-Member;		
(19)	Secretary (Fisheries), Government of Tamil Nadu.	-Member; and		
(20)	Secretary (Fisheries), Government of West Bengal.	-Member		

- 2. The tenure of the Chairperson shall be three years from the date of assumption of charge of the post.
- 3. The term of other members of the Coastal Aquaculture Authority shall be for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. No.33036/04/2018-Fy(T-2) (E-9908)] NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.